कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश

उपस्थित	**श्री मृत्युंजय कुमार नारायण, कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।**
प्रार्थी	**सर्वश्री नेशनल आयरन ट्रेडर्स, ब्रांच आफिस ऐशबाग, लखनऊ।**
प्रार्थना पत्र संख्या व दिनांक	**360 / 08, 05.09.2008**
प्रार्थी की ओर से	**कोई उपस्थित नहीं हुआ।**

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत निर्णय

सर्वश्री नेशनल आयरन ट्रेडर्स, ब्रांच आफिस ऐशबाग, लखनऊ द्वारा दिनांक 05.09.2008 को उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत प्रार्थना-पत्र दाखिल किया गया, जिसमें उनके द्वारा ' पशुचालित वाहनों में प्रयोग होने वाले रिम व धुरे ' पर, कर की दर जाननी चाही गयी है।

2. प्रार्थना-पत्र की सुनवाई हेतु प्रार्थी को कई नोटिस भेजी गयी, कोई उपस्थित नहीं हुआ। नैसर्गिक न्याय के हित में पुन: दिनांक 16.01.2014 के लिए नोटिस भेजी गई। उक्त नोटिस की तामीली के उपरान्त भी, कोई उपस्थित नहीं हुआ। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना-पत्र में कहा गया है कि उनके द्वारा बिक्री किये जाने वाले पशुचालित वाहन के रिम व धूरा कृषि उपकरणों की करमुक्ति की विज्ञप्ति से आच्छादित है क्योंकि इनका प्रयोग पशुचालित वाहनों के लिए होता है। उनके द्वारा मुख्यालय के परिपत्र संख्या-3116, दिनांक 26.02.1992 को भी सन्दर्भित किया गया जिसमें यह कहा गया है कि पशुचालित वाहनों में प्रयोग होने वाले रिम व धुरे करमुक्त हैं।

3. उपरोक्त संदर्भ में एडीशनल कमिश्नर, ग्रेड-1, वाणिज्य कर, लखनऊ जोन, लखनऊ द्वारा पत्र संख्या-2314, दिनांक 25.09.2008 से प्रेषित आख्या में कहा गया है कि प्रार्थी द्वारा जानवर से चालित ताँगा व बैलगाड़ी के रिम व धुरे को कृषि यन्त्र मानते हुए करमुक्ति का दावा किया गया है जबकि उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की अनुसूची-I के क्रमांक-1 पर अंकित कृषि उपकरणों में पशुचालित वाहनों एवं उसके पार्ट का कोई उल्लेख नहीं है। अत: ये वस्तुएं अवर्गीकृत वस्तु की भाँति 12.5% की दर से करयोग्य हैं।

4. प्रस्तुतकर्ता अधिकारी द्वारा कहा गया है कि प्रार्थी द्वारा पशुचालित ताँगा एवं बैलगाड़ी के रिम व धुरे पर कर की दर जाननी चाही गयी है। ये वस्तुएं कृषि में प्रयोग नहीं होती हैं और किसी भी भाँति कृषि यन्त्र नहीं हैं। उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की अनुसूची-I के क्रमांक-1 पर manually operated or animal driven or tractor or power driven Agricultural implements विज्ञापित है। इनमें पशुचालित वाहन व उसके पार्ट विज्ञापित नहीं हैं। प्रार्थी द्वारा सन्दर्भित परिपत्र, उत्तर प्रदेश बिक्रीकर अधिनियम में जारी विज्ञप्तियों के सन्दर्भ में जारी था जिसमें पशुचालित वाहनों को करमुक्त किया गया था। वर्तमान में ऐसी कोई प्रविष्टि नहीं है। अत: पशुचालित वाहनों के रिम व धुरे उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की अनुसूची-I, II, III एवं IV में वर्गीकृत न होने के कारण उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की अनुसूची-V के अन्तर्गत अवर्गीकृत वस्तु की भाँति करयोग्य होने चाहिए।

5. मेरे द्वारा धारा-59 के प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित तर्कों, प्रस्तुत साक्ष्यों, एडीशनल कमिश्नर, ग्रेड-1, वाणिज्य कर, लखनऊ जोन, लखनऊ द्वारा प्रेषित आख्या एवं विधि-व्यवस्था का परिशीलन किया गया। पाया

.....2

गया कि पशुचालित वाहनों के रिम व धुरे उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की अनुसूची-I, II, III एवं IV में वर्गीकृत न होने के कारण उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की अनुसूची-V के अन्तर्गत अवर्गीकृत वस्तु की भाँति 12.5% + विधि अनुसार अतिरिक्त कर की दर से करयोग्य होंगे।

6. प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत धारा-59 के प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित प्रश्न का उत्तर उपरोक्तानुसार दिया जाता है।

7. उपरोक्त की एक प्रति व्यापारी, कर निर्धारण अधिकारी व कम्प्यूटर में अप लोड करने हेतु मुख्यालय के आई0 टी0 अनुभाग को प्रेषित कर दी जाय।

दिनांक 17 जनवरी, 2014

ह0 / 17.01.2014

(मृत्युंजय कुमार नारायण)
कमिश्नर, वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।